राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

क्रमांकः— 12302-12336 दिनांकः— ~~17~~.05.2019
16

प्रेषितिः—

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः— राजस्थान राज्य में स्थित जेलों में निरूद्ध बन्दियों व उनके अधिवक्ताओं के मध्य परामर्श हेतु वीड़ियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा।
संदर्भः— पत्र संख्या 26575 दिनांक 17.09.2018 एवं दिनांक 16.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपके ध्यानाकर्षित लाना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्तमान वीड़ियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निश्चय किया गया है ताकि जेल में निरूद्ध व्यक्तियों को उनके अधिवक्ताओं से परामर्श एवं सलाह प्राप्त करने का उचित अवसर प्राप्त हो अतः राजस्थान राज्य की किसी भी जेल में निरूद्ध व्यक्तियों एवं माननीय उच्च न्यायालय में उनके प्रकरणों में नियुक्त उनके अधिवक्ताओं के मध्य सुगम संपर्क स्थापित रखने हेतु उपरोक्त विषय के संबंध में पूर्व में जारी मार्गनिर्देशन को जारी रखते हुए निम्न दिए गए प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जावे :—

1. वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का विस्तार राजस्थान राज्य में स्थित उन केन्द्रीय एवं जिला जेलों में किया जाएगा, जिनमें वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। यह लाभ सभी निरूद्ध व्यक्तियों के लिए होगा।
2. वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की उपलब्धता वाली जेलों को उनमें निरूद्ध व्यक्तियों को उनसे संबंधित प्रकरण जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष लंबित हैं, में उनके अधिवक्ताओं से विधिक परामर्श दिलवाने हेतु वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से जोड़ा जाएगा।

3. वर्तमान योजना के तहत, यदि जेल में निरूद्ध कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकरण में, जमानत अथवा पैरोल सहित, जो कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर या जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष लंबित है, में स्वयं के अधिवक्ता से विधिक परामर्श लेने की इच्छा रखता है, तो वह केन्द्रीय कारागृह के जेल अधीक्षक अथवा जिला कारागृह के उप–अधीक्षक, जिसमें उस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, को सूचित करेगा।

4. विधिक परामर्श दिलवाने की ऐसी ही प्रार्थना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय एवं जिला जेलों में संस्थापित विधिक सहायता क्लिनिक (Legal Aid Clinic) को भी की जा सकती है। उपरोक्त विधिक सहायता क्लिनिक में कार्यरत पैरा लीगल वॉलियन्टर्स अथवा पैनल अधिवक्ता जेल में निरूद्ध बन्दी द्वारा की गई ऐसी प्रार्थना के संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को तुरंत अवगत करवायेंगे।

5- अधीक्षक/उप–अधीक्षक अथवा जेल प्रभारी द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त करने की ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर जरिये ई–मेल/लिखित में/व्हाट्सएप/फोन से, निरूद्ध व्यक्ति का नाम, प्रकरण का विवरण एवं अधिवक्ता के नाम की जानकारी सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय अथवा जेल में स्थित विधिक सहायता क्लिनिक अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेंगे। उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं की जानकारी जेल प्रभारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु बनाए गए रजिस्टर में भी दर्ज की जाएगी।

6- राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय में ऐसी प्रार्थना प्राप्त होने पर उनकी जानकारी निर्धारित रजिस्टर में दर्ज की जावेगी एवं लंबित मामलों के संबंध में उचित सत्यापन के बाद, परामर्श के लिए मोबाईल, फोन या ईमेल से अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर एवं ऐसे अधिवक्ता की निरूद्ध व्यक्ति को विधिक परामर्श दिए जाने बाबत् सहमति प्राप्त करने के पश्चात् वीड़ियो कॉन्फ्रेंस हेतु निर्धारित दिन एवं समय तय करेंगे एवं तय किए गए दिन व समय की जानकारी विधिक सेवा संस्था में पदस्थापित संबंधित

पदाधिकारी, जेल में निरूद्ध व्यक्ति को जेल प्रभारी के माध्यम से उपलब्ध करवाऐंगे।

7- तय दिन व समय पर, निरूद्ध व्यक्ति और उसके अधिवक्ता के मध्य विधिक परामर्श के लिए विड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 5 मिनट की अवधि के लिए माह में केवल एक बार उपलब्ध करवाई जाएगी।

8- जयपुर में वीड़ियों कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर में स्थित ''न्याय रो सारथी'' (Front office of RSLSA) में स्थापित वीड़ियों कॉन्फ्रेंस कक्ष के माध्यम से तथा जोधपुर में वर्तमान सुविधानुसार जोधपुर महानगर न्यायालय में स्थित वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

9- यह सुविधाएं ऐसे सभी अधिवक्ताओं के लिए भी उपलब्ध होगी, जो जेल में निरूद्ध व्यक्ति की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी भी कार्यवाही में नियुक्त हैं (चाहे विधिक सहायता के तहत या अन्यथा)। ऐसे मामले में संबंधित अधिवक्ता को स्वयं के पक्षकार/मुवक्किल, जो कि राजस्थान राज्य की किसी जेल में निरूद्ध हैं, से विधिक परामर्श करने बाबत् स्वयं का हस्ताक्षरशुदा लिखित आवेदन सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर या जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार परामर्श सुविधा माह में केवल एक बार 5 मिनट की अवधि के लिए उपलब्ध की जा सकती है।

10- वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग परामर्श के समय प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता एवं एक साथी जूनियर अधिवक्ता ही वी0सी0 स्टुडियों में प्रवेश के लिए अधिकृत है। वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो में किसी रिश्तेदार अथवा दोस्त के प्रवेश की अनुमति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11- रिकॉर्ड संधारण हेतु, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राजस्थान राज्य में स्थित समस्त जेलों में रजिस्टर प्रेषित किया जाएगा तथा प्रत्येक अधीक्षक अथवा उप–अधीक्षक अथवा जेल प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि वह राजस्थान में स्थित समस्त

जेलों में निरूद्ध व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करें।

12- किसी भी कठिनाई के मामले में एवं अधिक जानकारी हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के हैल्पलाईन नं0 9928900900 पर स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया जा सकता है।

13- किसी भी समय, यदि यह ज्ञात होता है कि वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा किसी के द्वारा झूठी घोषणा के आधार पर प्राप्त की गई है, तो प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु गंभीर कार्यवाही की जाएगी।

14- वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का विस्तार, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल में निरूद्ध व्यक्तियों तक न्याय की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई पहल का हिस्सा है।

15- वीड़ियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा सभी सिरों पर तकनीकी व्यावर्हायता के अधीन है एवं इसे जारी रखने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पर बाध्यकारी दायित्व के रूप में निर्माण नहीं किया जा सकता है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आप राजस्थान राज्य में स्थित जेलों में निरूद्ध बन्दियों को त्वरित रूप से उपरोक्त प्रोटोकॉल के तहत वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग परामर्श की सुगम उपलब्धता हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

संलग्नः– मूल आदेश(English)

आज्ञा से,

Sd/-

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

प्रलिलिपीः– 12337-12501 दि– 18/5/19

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, समस्त राजस्थान।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त राजस्थान।
3. अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला जेल, समस्त राजस्थान।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

Register for Jails

S.No.	Date	Name of Prisoner who made request with signature	Case No. and detail	Name of Advocate & His mobile number	Jaipur or Jodhpur	Intimated to RHCLSC/DLSA	Date fixed for V.C.	V.C. Conducted	Signature	Last V.C

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone: 0141-2227481, 2227555, FAX: 2227602, Toll Free Helpline- 15100, 9928900900)
Email: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com Website: www.rslsa.gov.in

No. RSLSA/2019/ 10484-10485 Date: 30th April, 2019

To

The Secretary,
Rajasthan High Court Legal Services Committee,
Jodhpur/ Jaipur.

Sub: Video Conferencing Facility for consultation between Prisoners lodged in different Jails of Rajasthan and their Advocates.

Ref: Letter No. 26575 dated 17.09.2018 and dated 16.11.2018.

Sir,

Apropos to above, I am under direction to apprise you that RSLSA has decided to improve present facility of Video Conferencing (VC) to make it more effective so that prisoners or the persons behind bar, may have reasonable opportunity for legal consultation and advise from their Advocates, therefore in continuation of earlier directions on the subject mentioned herein, you are requested to adopt following protocol, for ensuring smooth connectivity between prisoner, lodged in any Jail of Rajasthan and the Advocate of the case before Hon'ble High Court :

(i) The VC facility shall be extended to Central and District Jails of Rajasthan, wherein Video Conferencing facility is available.

(ii) The Jail, having VC Facility, will be connected for facilitating legal consultation to the Prisoner by his Advocate, in pending cases before Hon'ble Rajasthan High Court, Jodhpur or Bench at Jaipur.

(iii) Under present scheme, if any prisoner, in any matter including bail and parole, pending before Hon'ble High Court, Jodhpur or Jaipur Bench, as the case may be, desires to have legal consultation with his lawyer, is required to intimate the Superintendent of Central Jail or the Deputy Superintendent or In-charge of District Jail, wherein he is kept under custody.

(iv) A similar request of legal consultation may also be made to legal aid clinic (LAC) established by RSLSA at the Central or District Jails. The PLV or Panel Advocate at LAC shall immediately apprise about the request of such prisoner to the Secretary of DLSA/ RHCLSC.

(v) On receipt of request for consultation, either oral or in writing, the Superintendent/Deputy Superintendent or In-charge of Jail will intimate either to office of the Secretary of RHCLSC or to legal

30/04/19

aid clinic of Jail or to the Secretary of DLSA either by mail/ in writing or by WhatsApp or by phone, mentioning the name of prisoner, description of the case and name of Advocate. The details, provided shall be entered into a Register to be maintained for the purpose, by the Jail In-charge.

(vi) As soon as the request is received by the office of RHCLSC, after making necessary entries in prescribed register and after due verification about the pending case, the Advocate, desired for consultation may be contacted on available mobile/ phone or by email and he or she, also accepts the request of prisoner for providing legal advice then after fixing day and time of connectivity, the concerned officer of Legal Services Institution shall intimate to the prisoner through In-charge of Jail about day and time of consultation.

(vii) On the specified day (date) and time, the Video Conferencing facility for legal consultation between prisoner and his Advocate shall be facilitated for a period of 5 minutes but once a month only.

(viii) The connectivity from Jaipur shall be provided from "**Nyay-ro-Sarthi**" VC studio situated at RSLSA, High Court Campus, Jaipur Bench, Jaipur, whereas at Jodhpur it may be provided under existing practice through Jodhpur Metro Court VC Studio.

(ix) Facilities on similar terms would be available to all such advocates, engaged in any proceedings before the Hon'ble High Court on behalf of the prisoner (Whether under legal aid or otherwise), In such case the Advocate has to submit an application to the Secretary RHCLSC under his signature for consultation regarding case with his client lodged in any of the prisons of Rajasthan. The consultation opportunity may be availed only once in a month for a period of 5 minutes.

(x) During the VC consultation, only engaged Advocate along with maximum one Junior Advocate would be permitted; any request for entry in VC studio to any relative or friend would not be entertained.

(xi) For the purpose of maintaining record, the registers would be supplied to all such Jails by RSLSA through DLSAs and it would be duty of every Superintendent or Deputy Superintendent or Jail In-charge to sincerely observe present protocol for securing access to Justice to the prisoners in the state of Rajasthan.

(xii) In case of any difficulty, the helpline No 9928900900 of RSLSA may be contacted for further clarification.

30/04/19.

(xiii) At any time, if, it is found that VC facility was obtained by adopting false declaration by anyone, serious action would be taken to ensure fairness of the process.

(xiv) The VC facilities are extended as part of initiative of RSLSA to achieve object of providing access of reasonable legal consultation to every prisoner.

(xv) The VC facilities are subject to technical feasibility at all ends and same may not be construed as a binding obligation for RSLSA to continue it.

You are, therefore, requested to make all necessary arrangement for smooth functioning of VC consultation for prisoners of Rajasthan with immediate effect under this protocol.

By Order

30/04/19

(Ashok Kumar Jain)
Member Secretary
Rajasthan State Legal Services Authority
Jaipur